राजस्थान सुनवाई का अधिकार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/01/2020 (रा.सुन.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 27.07.2020

श्री गंगाधर सोलंकी पिता मांगीलाल दर्जी, निवासी हाल 10–ए, अशोक नगर, चित्तौड़गढ़

बनाम

अतिरिक्त कलक्टर एवं लोकसुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम–2012

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 18.08.2020

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम–2012 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं जनसुनवाई अधिकारी चित्तौड़गढ़ के समक्ष पत्रांक 173 दिनांक 08.06.2020 से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के डी. बी. सिविल रीट पिटीशन नं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के परिपेक्ष्य में प्राकृतिक नदी, नाले के रूप में तहसील राशमी के राजस्व ग्राम पहुंना के खसरा नम्बर 2007 नाडी हरीसागर को बहाल कराने हेतु परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर जनसुनवाई अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को नियत समय में न तो सुनने हेतु आमंत्रित किया तथा न ही प्रार्थना पत्र पर निर्णय दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस कार्यालय के पत्रांक प्र. सं./01/2020(सुनवाई का अधिकार)(18.08)/500 दिनांक 27.07.2020 से अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं लोक सुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 18.08.2020 से पूर्व कमेन्ट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 18.08.2020 को सुनवाई हेतु उपस्थित रहने हेतु सूचित किया गया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र क्रमांक 278–279 दिनांक 17.08.2020 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कोविड–19 के अन्तर्गत अपीलार्थी की उम्र 71 वर्ष होने के कारण परिवार के सदस्य बाहर निकलने के लिए अनुमत नही कर रहे हैं अपीलार्थी कोविड–19 के नियमों का पालन करते हुए

राज० सुनवाई का अधिकार
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

अभी भी लॉकडाउन का पालन कर रहा है तथा दिनांक 17.08.2020 तक भी प्रत्यर्थी की ओर से कोई अपीलोत्तर प्राप्त नहीं हुआ है अतः उक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम पहुंना तहसील राशमी के खसरा नम्बर 2007 को कृषि से मुक्त करा माननीय राज. उच्च न्यायालय के आदेश की पालना कराने की अनुशंसा करावें।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं लोक सुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/जन सुनवाई/2019/277 दिनांक 11.08.2020 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:—

1. यह कि अपीलार्थी ने सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 08.06.2020 के संबंध में अपील प्रस्तुत की है।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से सूचना प्राप्त की गई जिसको इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2519 दिनांक 10.08.2020 से कुल किता 03 ड़ाक द्वारा भिजवाई गई है। (पत्र की प्रति संलग्न है)
3. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई जिससे अब इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
4. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील को निरस्त कराने को श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों तथा अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं लोक सुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/जन सुनवाई/2020/277 दिनांक 11.08.2020 से प्रेषित कमेन्ट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से तहसील राशमी के राजस्व ग्राम पहुंना के साबिक आराजी नम्बर 16 वर्तमान आराजी नम्बर 2007 जो कि जमाबंदी सम्वत् 1999 के अनुसार नाडी हरीसागर पेटा, पाल, चरनोट दर्ज है को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेशानुसार वर्ष 1947 की स्थिति बहाल कराने तथा राजस्व ग्राम पहुंना, तहसील राशमी की मिसल नं. 107/1955 दिनांक 30.11.58 खाता संख्या 276 की सम्पूर्ण पत्रावली की नकलें दिलाने

राज० सुनवाई का अधिकार
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संबंधी परिवाद पर उसे लोक सुनवाई अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं देने तथा शिकायत का निस्तारण नहीं करने से यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं लोक सुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2519 दिनांक 10.08.2020 से जो सूचनाऐं उपलब्ध कराई गई है उनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वह अपीलार्थी द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री महोदय को जनसुनवाई में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.10.2019 के संबंध में तहसीलदार, राशमी द्वारा जो बिन्दुवार सूचना प्रेषित की है मात्र उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराई गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं लोक सुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी का परिवाद राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत दर्ज किया जाना नहीं पाया जाता है तथा न ही अपीलार्थी को सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना पाया जाता है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं लोक सुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी/अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उसके परिवाद का सात दिवस में निस्तारण करने की सुनिश्चितता करें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(के. के. शर्मा)
राज. सुनवाई का अधिकार
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सरिश्ता/रा.सुन.अ./01/2020/536 दिनांकः- 18/08/2020

प्रतिलिपिः-
1. अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं लोक सुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़
2. श्री गंगाधर सोलंकी पिता मांगीलाल जी दर्जी निवासी 10-ए, अशोक नगर, चित्तौड़गढ़

राज. सुनवाई का अधिकार
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़